"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2013—आश्विन 9, शक 1935

राज भवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक 1114/एफ 1-2/2013/रास/यू-15.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं शेखर दत्त, कुलाध्यक्ष, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर उक्त निजी विश्वविद्यालय के कुलपति पद हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की खोजबीन समिति गठित करता हूं :-

1.	श्री द्विजाबर कानूनगो, रिटायर्ड आई. ए. एस., पूर्व सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भुवनेश्वर.	कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित
2.	प्रो. निर्मला दत्ता, डीन, रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर.	कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित
3.	डॉ. सुनील कुमार वर्मा, पूर्व कुलपति, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर.	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसित

और श्री द्विजाबर कानूनगो को मैं, समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं.

2. यह समिति, अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से 08 सप्ताह की अवधि में न्यूनतम 03 (तीन) ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों का पेनल कुलपति की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./
(शेखर दत्त)
कुलाध्यक्ष,
कलिंगा निजी विश्वविद्यालय
रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.